## कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-75 दिनांक: 11/3/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक पांचवी दिनांक 7-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 पांचवी दिनांक 7/3/2002 प्रात:/सायं 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।

सदस्य सचिव,
बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..5..वीं बैठक दिनांक..7-3-2002..का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पहाड़गंज
2. योजना का नाम : पटेल विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता, 33
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..डी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक..1-3-02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण में योजना को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई को 40 फिट किया जावे एवं योजना के मध्य से गुजरने वाली सड़क को 30 फिट चौड़ा रखा जावे ।
2. भूखण्ड सं0 10, 9 व 8 का कुछ भाग को योजना क्षेत्र से अलग किया जावे ।
3. योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत रखने के लिए भूखण्ड सं0 8, 11, 12 व 13 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।
4. मास्टर विकास योजना में सन्दर्भित भूमि का भू उपयोग पार्क एवं ओपन स्पेस है जिसे आवासीय उपयोग में परिवर्तन करने की कार्यवाही की जावे ।

# कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..5वीं..बैठक दिनांक..7-3-2002..का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पहाड़गंज
2. योजना का नाम : देवीधाम
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता, 637
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....डी-3..) कमेटी की बैठक दिनांक..1-3-2002में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मुख्य सड़क को मिलाने वाली सड़क की चौड़ाई 30 फिट के स्थान पर 40 फिट रखी जावे।
2. भूखण्ड सं0 4 व 5 को योजना से अलग किया जावे तथा जिसे संस्थानिक उपयोग हेतु आरक्षित रखा जावे।
3. मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग व्यावसायिक (रिटेल कामर्शियल एवं जनरल बिजनिस) दर्शाया है जिसे आवासीय में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जावे।

## कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 5वीं बैठक दिनांक 7-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी
2. योजना का नाम : रामनगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता,
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या डी-3.....) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मुख्य नायला रोड़ को मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार मय प्लांटेशन कोरीडोर के सड़क के मध्य बिन्दु से 175 फिट रखा जावे। इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाली दुकानों एवं भूखंडों को निरस्त किया जावे।
2. एच.टी. लाईन से प्रभावित होने वाले भूखण्ड सं0 2 से 13, 36, 37, 39, 40, 46, 49 का नियमन नहीं किया जावे।
3. योजना की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट रखी जावे।
4. मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित योजना का भू उपयोग रिटेल कामर्शियल एवं जनरल बिजनिस, रूरल बैल्ट है जिसे आवासीय उपयोग में बदलने की कार्यवाही की जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की 5 वीं बैठक दिनांक 7-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : हथरोई गढ़ी |
| 2. | योजना का नाम | : बजरंग विहार |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : कानोता, |
| 4. | सैक्टर नंबर | : |

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक 3-3-02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मुख्य सड़क मास्टर विकास योजना के अनुसार 100 फिट ही रखी जावे तथा दुकान सं0 1 से 8 में 8 फिट को भू पट्टी सड़क विस्तार हेतु कम की जावे। साथ ही चूंकि इन व्यावसायिक भूखण्डों से एच॰टी॰ लाईने भी गुजरती है अत: दुकान सं0 1 से 8 का नियमन नहीं किया जावे।
2. योजना में आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत रखने के लिए भूखण्ड सं0 7 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे।
3. मास्टर विकास योजना 2011 में योजना का भू उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय है। अत: इसका आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 5वीं बैठक दिनांक 7-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : जय चामुण्डा |
| 2. | योजना का नाम | : सरदारसिंह नगर |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : कानोता, 15 |
| 4. | सैक्टर नंबर | : |

जोनल लेबल(जोन संख्या डी-3) कमेटी की बैठक दिनांक 27-2-02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. आगरा रोड़ के मध्य से 150 फिट दूरी रखते हुए (आगरा रोड़ की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार 300 फिट) प्रस्तावित दुकानें(दु सं 1 से 26) एवं भूखण्ड़ सं0 10 से 16, दुकान सं0 1 से 4 के पश्चिम दिशा के भूखण्ड़ एवं भूखण्ड़ सं0 2 के आंशिक भाग को अस्वीकृत किया गया ।
2. 33 के.वी. की एच.टी. लाईन से प्रभावित होने वाले भूखण्ड़ों को अस्वीकृत किया गया ।
3. भूखण्ड सं0 2 से 9 ए के दक्षिण-पश्चिम में सरकारी भूमि जो योजना क्षेत्र में सम्मिलित की गयी है उसको नियमानुसार सरकारी भूमि की दर सम्मिलित करते हुए नियमन की कार्यवाही की जावे ।
4. उपायुक्त, जोन डी-3 द्वारा जो संशोधित मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमे दर्शाये 5 भूखण्डों को पार्क क्षेत्र में ही दर्शाया जावे ।
5. भूखण्ड़ सं0 57 योजना का भाग नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..5वीं..बैठक दिनांक..7-3-2002..का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : बाबा आर॰एन॰ गौड
2. योजना का नाम बाबा रामदेव नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता,
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. भूखण्ड सं0 13,14,15,35 एवं 16 का आंशिक भाग को योजना क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावे एवं इन भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे ।

2. भूखण्ड सं0 27 से 34 में जो भूमि बढ़ रही है उसको सरकारी भूमि मानते हुए योजना क्षेत्र में सम्मिलित की जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे ।

3. इस योजना में भूखण्ड सं0 1 से 12 मास्टर विकास योजना को 100 फिट चौड़ी सड़क के अन्तर्गत आते है । अत: इनका नियमन नहीं किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..5वीं..बैठक दिनांक..7-3-2002..का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिवशंकर गृ॰ नि॰ स॰ समिति
2. योजना का नाम : बजरंग कॉलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता,
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..डी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक............में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1• योजना की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फिट की जावे।

2• योजना का आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत रखा जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..5वीं...बैठक दिनांक..7-3-2002..का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : श्री महावीर स्वामी
2. योजना का नाम : देवराज नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : कानोता,
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..डी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक..27-2-02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर प्लान की रीजनल रोड़ के संबंध में निर्णय होने तक योजना को लम्बित रखा जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की........बैठक दिनांक 7•3•02 ..........का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शंकर भवन गृ०नि०स०स०
2. योजना का नाम : रोहिणी नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : टीलावाला
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....सी.-2..) कमेटी की बैठक दिनांक...7•3•02में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1- योजना का भू-उपयोग पार्क, खुला स्थान तथा मिश्रित है । अत: भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे

2- योजना में से मास्टर प्लान की 160 फीट चौड़ी निकलती है । इससड़क क्षेत्र से आने के कारण भूखण्ड संख्या 36 से 49 निरस्त किये जावे ।

3- महल रोड़ पर प्रस्तावित दुकानों को निरस्त किया जावे ।

4- महल रोड़ की चौड़ाई 200 फीट रखने हेतु भूखण्ड संख्या 157, 158ए तथा 172 में से 10 फीट कम किया जावे ।

5- योजना के मध्य से मास्टर प्लान की 160`-0" चौड़ी सड़क हेतु भूमि लेने के पश्चात् सड़क और पार्क के बीच की भूमि को भी पार्क में सम्मिलित किया जावे ।

6- योजना की सभी 25`-0" चौड़ी सड़को को 30`-0" चौड़ा अनुमोदन किया जावे । सड़क के दोनों ओर से बराबर भूमि इस हेतु ली जावे ।

7- भूखण्ड संख्या 7 से 101 तथा 102 से 144 बी तक की 30`-0" चौड़ी सड़क को 40 फीट किया जाता है । इस हेतु 10 चौड़ी भू पट्टी भूखण्ड संख्या 102 से 144सी के ओर ली जावे ।

...2...

8- भूखण्ड संख्या 160 से 167 को खसरा प्लान से बाहर होने के कारण अनुमोदन नहीं किया जावे।

9- योजना के पूर्व के मास्टर प्लान की 200 फीट चौड़ी सड़क हेतु मौके पर रेखांकन के अनुसार भूखण्ड संख्या 182 से 172 में से 23 फीट से 5 फीट तक की भूमि कम की जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 07.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन D-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. श्री बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की सीतानगर विस्तार, बीलवा खसरा नम्बर 4 के अनुमोदन के संबंध में।
2. लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना चन्दलाई विहार, चन्दलाई खसरा नम्बर 1983, 1984, 1988 के अनुमोदन के संबंध में।
3. अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की गावर्धनपुरी योजना, अजयराजपुरा खसरा नम्बर 312, 313, 315/389, 314/384, 314/385, 315/386, 315/387, 315/388 के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त एजेन्डा पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. श्री बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की सीतानगर विस्तार, बीलवा खसरा नम्बर 4 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में निम्न निर्णय लिया गया कि :-

(i) योजना में भूखण्ड संख्या 4, 5, 6 के उपर से 11 K.V. H.T. Line गुजरती है एवं इन भूखण्डों को H.T. Line से सुरक्षित दूरी 25 ft. रखने के पश्चात न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिल पाता है। अतः इन भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। चूंकि योजना में कुल 7 भूखण्ड ही प्रस्तावित किये गये है एवं सभी भखण्ड रिक्त है अतः समिति को संशोधित मानचित्र पेश करने हेतु कहा जावें।

2. लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना चन्दलाई विहार, चन्दलाई खसरा नम्बर 1983, 1984, 1988 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में निम्न निर्णय लिया गया है :-

(i) योजना का अधिकांश भाग हाइवे कंट्रोल बैल्ट रेग्युलेशन 2002 के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मार्गाधिकार में आ जाने के कारण नियमन योग्य नहीं हो पाता है अतः समिति को

शेष बची हुई भूमि के लिये संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जावें ।

3. अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की गावर्धनपुरी योजना, अजयराजपुरा खसरा नम्बर 312, 313, 315/389, 314/384, 314/385, 315/386, 315/387, 315/388 के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल ॥जोन संख्या डी-1॥ कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में निम्न निर्णय लिया गया है :-

(i) अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. द्वारा पूर्व में पेश किये गये योजना मानचित्र का आंशिक भाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग नियंत्रण विनियम 2002 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार में आ जाने के कारण समिति द्वारा संशोधित मानचित्र पेश किया गया जिस पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में गृ.नि.स. समिति के पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश जैन, सचिव एवं श्री राकेश जैन, संयोजक उपस्थित हुए एवं उनका पक्ष भी सुना गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि समिति को निम्न शर्तों के साथ संशोधित मानचित्र पेश करने हेतु लिखा जावें ।

(a) योजना का आंशिक भाग हाइवे कंट्रोल बैल्ट में आ जाने के कारण जो भूखण्ड अस्वीकृत किये गये हैं उनको समायोजित करते हुए समिति संशोधित मानचित्र 60% आवासीय 40% सुविधा क्षेत्र के अनुपात मे प्रस्तुत करें ।

(b) समिति द्वारा सदस्यों की सूची मय आवंटित भूखण्डों पुराने व नये भूखण्ड नम्बर सहित प्रस्तुत की जावें ।

(c) योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र योजना के मध्य में एक Chunk के रुप में दिया जावें ताकी योजना के सभी भूखण्ड को समान रुप से सुविधा मिल सके ।

(d) योजना मानचित्र में रेल्वे लाईन के समानान्तर, रेल्वे लाईन के मध्य बिन्दु से दिखाये गये 120 ft. के स्थान पर 150 ft. किया जावें ।

(e) उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर बीपीसी ॥ले आउट॥ की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावें ।

बीपीसी ॥ले आउट प्लान॥ की दिनांक 07.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन A-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. म्युचुअल हा.को.सो.लि. की योजना स्कीम नम्बर 1, श्रीराम कालोनी के अनुमोदन के संबंध में ।

2. माधव नगर गृ.नि.स.स. की योजना मदन बाडी राजीव नगर ग्राम बीड सरकारी के अनुमोदन के संबंध में ।

3. सैन कालोनी भवन गृ.नि.स.स. की योजना राधा गोविन्द कालोनी, ढेर का बालाजी के अनुमोदन के संबंध में ।

4. माधव नगर गृ.नि.स.स. की योजना जे.पी. कालोनी, अम्बा बाडी, नया खेडा के अनुमोदन के संबंध में ।
5. संयुक्त गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 6, जगदम्बा कालोनी, ढेर का बालाजी के अनुमादेन के संबंध में ।
6. गुलाबी नगर गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2 के अनुमोदन के संबंध में ।
7. अपोलो नगर गृ.नि.स.स. की योजना एन.बी.सी. हसनपुरा, खातीपुरा रोड के अनुमोनदन के संबंध में ।

विचार विमर्श पश्चात उपरोक्त एजेन्डा पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. म्युचुअल हा.को.सो.लि. की योजना स्कीम नम्बर 1, श्रीराम कालोनी के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए–2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया :-

(i) प्रश्नगत योजना के पश्चिम में 160 ft. चौडी सीकर रोड है अतः रोड राईट आफ वे को छोडकर एवं 6 ft. गहरी पट्टी पार्किग हेतु आरक्षित रखने के बाद 10 ft. गहराई की दुकानें अनुमोदित की गई ।
(ii) विद्याधर नगर सैक्टर 120 ft. रोड में आ रहे भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें ।
(iii) योजना में सभी आंतरिक सडकों को न्यूनतम 30 ft. अनुमोदित किया गया ।
(iv) चूंकि योजना दो बीघा से अधिक अवाप्ति शुदा भूमि पर बसी हुई है । अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावें ।

2. माधव नगर गृ.नि.स.स. की योजना मदन बाडी राजीव नगर ग्राम बीड सरकारी के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए–2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया :-

(i) प्रश्नगत योजना के पूर्व में ~~1~~ 100 ft. चौडी सडक में आ रहे भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें ।
(ii) योजना के पूर्व – पश्चिम में विद्याधर नगर की 60 ft. चौडी सेक्टर रोड आ रही है साथ ही योजना में इस सेक्टर रोड से लगते हुए दक्षिण की तरफ 25 ft. चौडी रोड प्रस्तावित है अतः निर्णय लिया गया है कि इस सडक 60 ft. चौडी सेक्टर रोड का अलाइनमेंट इस 25 ft. चौडी रोड को समाहित करते हुए कर दिया जाए और इसके पश्चात इस रोड में आने वाले भूखंडों को नियमन नहीं किया जावें ।
(iii) योजना के दक्षिण उत्तर में 40 ft. चौडी विद्याधर नगर की सेक्टर रोड आ रही है अतः

इस रोड से लगते हुए भूखण्डों की गहराई तदनुसार कम किया जाकर नियमन किया जावें ।

(iv) योजना मे प्रस्तावित सभी शेष आंतरिक सडकों की चौडाई न्यूनतम 30 ft. की गई ।

(v) चूंकि योजना दो बीघा से अधिक अवाप्ति शुदा भूमि पर बसी हुई है । अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावें ।

3. सैन कालोनी भवन गृ.नि.स.स. की योजना राधा गोविन्द कालोनी, ढेर का बालाजी के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए–2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :–

(i) योजना मे सभी आंतरिक सडकों को न्यूनतम 30 ft. अनुमोदित किया गया ।

(ii) चौमूं रोड 160 ft. चौडा है अतः रोड के मध्य बिन्दु से 80 ft. छोडने के पश्चात और 10 ft. गहराई पार्किंग हेतु आरक्षित रखने के पश्चात शेष गहराई की दुकानें अनुमोदित की गई ।

(iii) भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, व 7, 8, 9 एवं 10 को मौका देखने के पश्चात जोन द्वारा रिपोर्ट दी जावें कि क्या इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में रख दिया जावें ।

(iv) चूंकि योजना दो बीघा से अधिक अवाप्ति शुदा भूमि पर बसी हुई है । अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावें ।

4. माधव नगर गृ.नि.स.स. की योजना जे.पी. कालोनी, अम्बा बाडी, नया खेडा के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए–2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :–

(i) योजना के दक्षिण में विद्याधर नगर की 100 ft. चौडी सेक्टर रोड में आ रहे भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें ।

(ii) योजना मे सभी आंतरिक सडकों को न्यूनतम 30 ft. अनुमोदित किया गया ।

(iii) चूंकि योजना दो बीघा से अधिक अवाप्ति शुदा भूमि पर बसी हुई है । अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावें ।

5. संयुक्त गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 6, जगदम्बा कालोनी, ढेर का बालाजी के अनुमादेन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए–2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :–

(i) योजना से लगते हुए सीकर रोड के केन्द्र बिन्दु से 80 फि. के राईट आफ वे के बाद 10 फि. गहरी दुकानें अनुमोदित की गई एवं शेष क्षेत्र (दुकानों के सामने) को पार्किंग हेतु आरक्षित रखा गया ।

(ii) योजना में सभी आंतरिक सड़कों को न्यूनतम 30 फि. अनुमोदित किया गया ।

(iii) भूखण्ड संख्या 64, 65, 92, 93 एवं 103 को सुविधा क्षेत्र में रखा गया ।

(iv) चूंकि योजना अवाप्ति शुदा भूमि पर बसी हुई है । अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावें ।

6. गुलाबी नगर गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2 के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

(i) योजना में सभी आंतरिक सड़कों को न्यूनतम 30 फि. अनुमोदित किया गया ।

(ii) आवासीय क्षेत्रफल 60% से अधिक होने के कारण भूखण्ड संख्या 104 से 109 एवं भूखण्ड संख्या 96 से 100 को सुविधा क्षेत्र में रखा जावें ।

(iii) चूंकि योजना दो बीघा से अधिक अवाप्ति शुदा भूमि पर बसी हुई है । अतः कार्यालय आदेश दिनांक 25.2.2002 की अनुपालना में राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी जावें ।

7. अपोलो नगर गृ.नि.स.स. की योजना एन.बी.सी. हसनपुरा, खातीपुरा रोड के अनुमोनदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि योजना का पुनः मौका निरीक्षण किया जावें एवं मौका रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावें ।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)

परिशिष्ट-क

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की ~~तृतीय~~ पांचवी बैठक दिनांक 7-3-2002 को प्रातः 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक — सदस्य
2. श्री अशोक तंवर, विधायक — सदस्य
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य — सदस्य
4. श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
5. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) — सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

6. श्री पी.अरविन्द,वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
7. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
8. श्री मुकेश मित्तल,उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
10. श्री नीरज तिवारी, उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा,जयपुर।
11. डॉ.रामेश्वर प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन डी-3, जविप्रा,जयपुर।
12. श्री गिरिश शर्मा, सहायक नगर नियोजक,जोन सी-2,जविप्रा, जयपुर।